सीमाशुल्क आयुक्त (जनरल) का कार्यालय, मुंबई अंचल - II
Office of the Commissioner of Customs (General),
Mumbai Customs Zone-II
जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन
JAWAHARLAL NEHRU CUSTOM HOUSE
न्हावा शेवा, तालुका उरण, जिला: रायगड, महाराष्ट्र - 400 707
Nhava Sheva, Taluka: Uran, Distt: Raigad, Maharashtra- 400707
Email: chs-jnch@gov.in

विकसित भारत अभियान 1947 TO 2047

F. No. S/43-40/2023-24/CHS/JNCH/PT-I **दिनांक/DATE: 23 .12.2025**

कार्यालय आदेश /OFFICE ORDER No.- 191/2025

जीएफआर, 2017 के नियम 155 के प्रावधानों के अनुसार (No. F.1/3/2024-PPD दिनांक 10.07.2024 द्वारा संशोधित), 50,000/- रुपये (पचास हज़ार रुपये) से ज़्यादा और 5,00,000/- रुपये (पाँच लाख रुपये) तक की कीमत की वस्तुओं/सेवाओं की खरीद के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को स्थानीय खरीद समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है:

As per the provisions of Rule 155 of GFR, 2017 (as amended vide No. F.1/3/2024-PPD dated 10.07.2024), the following officers are appointed as members of the Local Purchase Committee for the purchase of goods/services costing above Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) and up to Rs. 5,00,000/- (Rupees Five Lakh Only):

1. अधीक्षक, सीमाशुल्क /Superintendent of Customs – पी एस ओ ऐड्मिन / PSO Admin
2. अधीक्षक, सीमाशुल्क /Superintendent of Customs – सतर्कता/Vigilance
3. उप/ सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क/ Deputy/Asstt. Commissioner of Customs – कार्यालय एवं स्थापना/P&E
4. उप/ सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क/ Deputy/Asstt. Commissioner of Customs – सी आई यू/ CIU

इस तरह बनाई गई समिति प्रत्येक समय 50,000 रुपये से ज़्यादा और 5,00,000 रुपये तक की कीमत की वस्तुओं/सेवाओं की खरीद की सिफारिश करेगी। समिति उचित दर, गुणवत्ता, विशेषता और सही मूल्य का पता लगाने के लिए बाज़ार का सर्वेक्षण करेगी एवं उपयुक्त आपूर्तिकर्ता की पहचान करेगी। खरीद आदेश देने की सिफारिश करने से पहले, समिति के सदस्य संयुक्त रूप से नीचे लिखे गए अनुसार एक प्रमाण पत्र अंकित करेंगे :

The Committee, thus constituted, may recommend the purchase of goods/services costing above Rs. 50,000/- and up to Rs. 5,00,000/- on each occasion. The committee will survey the market to ascertain the reasonableness of rate, quality and specifications, and identify the

appropriate supplier. Before recommending placement of the purchase order, the members of the committee will jointly record a certificate as under:

"यह प्रमाणित किया जाता है कि हम, खरीद समिति के सदस्य, संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हैं कि खरीद के लिए अनुशंसित वस्तुएं/सेवाएं विशेष विवरण और गुणवत्ता की हैं जिनका मूल्य प्रचलित बाजार दर पर है। अनुशंसित विक्रेता विश्वसनीय और संबंधित वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति करने में सक्षम है एवं वाणिज्य विभाग या संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।"

"Certified that we, members of the purchase committee, are jointly and individually satisfied that the goods/services recommended for purchase are of the requisite specification and quality, priced at the prevailing market rate, and that the supplier recommended is reliable and competent to supply the goods/services in question, and is not debarred by Department of Commerce or Ministry/Department concerned."

उपरोक्त स्थानीय खरीद समिति वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मान्य होगी।

The aforesaid Local Purchase Committee will be valid for the financial year 2025–26.

इसे आयुक्त, सीमाशुल्क (जनरल) के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

This issues with the approval of the Commissioner of Customs (General).

सुनील कुमार
23/12/2025

(सुनील कुमार व्ही. ए./Sunil Kumar V. A.)
सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क
Asstt. Commissioner of Customs,
सीएचएस, जेएनसीएच, न्हावा शेवा
CHS, JNCH, Nhava Sheva.